बिना जीएसटी पंजीयन के मटेरियल सप्लाई में करोड़ों का घोटाला

फर्जी ट्रेडर्स फर्मों के नाम पर पंचायतों में हुआ करोड़ों का भुगतान, सम्पूर्ण दस्तावेजों के बगैर ट्रेडर्सों के कैसे बैंकों में खुल गए खाते

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में नीचे से उपर तक जितना खोजों उतना ही भ्रष्टाचार निकलता है जो उसके पीछे पड गया उसे भी खुश करने के लिए तरह तरह हंथकण्डे पंचायत विभाग के कर्ता धर्ता अपनाते हैं।

आज स्थिति यह है कि बिना जीएसटी पंजीयन एवं पंजीयन समाप्त हो चुके जीएसटी के बिलों के सहारे फर्जी सप्लायर मटेरियल सप्लाई के बिल लगाते हैं जिसमें अब राजनैतिक दलों के नेता भी कूद पडे हैं किराना, जनरल एवं मेडिकल स्टोर चलाने वाले भाजपा नेताओं के बिल जिले की पंचायतों में लाखों रूपये के लगे हैं अब चूंकि सरपंच, सचिव इस भ्रष्टाचार रूपी दलदल में फंसे हुए है। इसलिए अब उनके भी फर्जी बिल करना भी उनकी मजबूरी हैं अन्यथा उनके राजनैतिक आका नौकरी करना मुश्किल कर देंगे। यदि जिले की पंचायतों में लगे मटेरियल सप्लाई के बिलों में भौतिक सत्यापन एवं उच्च स्तरीय जांच हो जाये तो कई अधिकारी नेता एवं सप्लायर जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। पन्ना जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, विभिन्न फर्मों के संचालकों तथा सरपंच सचिवों एवं बैंकों की मिली भगत से फर्जी मटेरियल सप्लायर फर्मों द्वारा बिना जीएसटी पंजीयन के जिले की पंचायतों को मटेरियल सप्लाई के नाम पर फर्जी बिलिंग कर शासन को करोड़ों का चूना लगाया है। नियमानुसार बिना जीएसटी पंजीयन के किसी भी फर्म को मटेरियल बेंचने एवं बिल लगाने का अधिकार नहीं है लेकिन बैंकों एवं पंचायतों की सांठ गांठ से फर्जी फर्मों के बैंको में खाते खुल गये बिना जीएसटी पंजीयन के फर्जी ट्रेडर्स फर्मों के लाखों करोड़ों के बिल भुगतान हो गये जिसमें अकेले सरपंच सचिव दोषी नहीं है जिसमें पंचायत से लेकर जनपद पंचायत एंव जिला पंचायत के अधिकारियों की भी पूरी मिलीभगत है यदि उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाये तो जिले में बहुत बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जीएसटी को सहारा लिया जा रहा है। देश में बडे पैमाने पर जीएसटी चोरों की धरपकड तेज कर दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ ऑनलाईन होने के बावजूद जीएसटी चोरों द्वारा देश को चूना लगाया जा रहा है। हालांकि ऐसे तमाम काले कारोबारियों स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। ट्रेडर्सों द्वारा की जा रही चोरी में सबसे बडा गुनाहगार बैंकों को भी माना जा सकता है।

गुमास्ता के बगैर कैसे खुला खाता:- नियमों के मुताबिक किसी फर्म का करंट एकाउंट खोलने से पहले गुमास्ता का होना जरूरी है। शेष दस्तावेज भी इतने ही आवश्यक है। अब सबसे बडा सवाल यह उठ रहा है कि जिले के सभी अग्रणी बैंक तमाम फर्जी ट्रेडर्सों के नाम खाता खोल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस खेल में बैंक भी शामिल हैं। ऐसे बैंको पर भी कडी कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर बैंकों में सभी दस्तावेज मांगे गए होते तो टैक्स चोरी की जरा सी भी संभावना नहीं होती।

सरकारी कलम पर खोट:- इस बात का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि ग्राम पंचायतें भले ही सरकारी निर्माण एजेंसी हो, पर ट्रेडर्सों के द्वारा क्रय की सामग्री पर जीएसटी का उल्लेख होना जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रस्तावित निर्माण पर जो स्टीमेट बनाया जाता है, उसमें प्लस जीएसटी का उल्लेख नहीं रहता। इसीलिए सरपंच जीएसटी का बिल नहीं चाहते हैं। सवाल यह उठता है कि बिल स्वीकृति के पहले जिम्मेदार अधिकारियों ने क्यों अंकुश नहीं लगाया।

सप्लायर ट्रेडर्सों ने सरकार को लगाया करोड़ों का चूना

जुटाई गई जानकारी जिले में सबसे ज्यादा कर चोरी ट्रेडर्स द्वारा की जा रही है। ग्राम पंचायतों में करोड़ों का सामान सप्लाई करने वाले ट्रेडर्स कहां पर संचालित हैं, कोई पता नहीं है। सब कुछ कागजों में ही लेन देन हो रहा है यहां पर बता दें कि कस्बाई व ग्रामीण इलाकों में हर दस पंचायत के बीच आधा दर्जन ट्रेडर्स संचालित हैं। जिनके पास टिन नंबर के अलावा कुछ नहीं है। कुछ ट्रेडर्स तो सादे बिल पर ही लाखों का भुगतान ले रहे हैं। इतना ही नहीं सरकार के खजाने को चपत लगाने वाले में सरकारी तंत्र भी कोई कमर नहीं रखी है। जानकार बताते हैं कि सरपंच सचिव ने अपने सगे संबंधी के नाम ट्रेडर्स बना रखा है, और लाखों का वारा न्यारा कर रहे हैं।

क्या कहता है नियम

सबसे पहले यह बता दें कि जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है तब से कानून भी सख्त किया गया है किसी भी व्यक्ति को अगर व्यवसाय करना है तो उसे सबसे पहले दुकान की स्थापना लायसेंस लेना होगा। इसके बाद पेनकार्ड, टिन नम्बर व जीएसटी भी लेना अनिवार्य है। छपाई गई कैशमेमों में सभी का उल्लेख होना जरूरी है। इसके बाद सभी दस्तावेजों के साथ बैंक में करेंट एकाउंट फर्म के नाम खोला जाएगा। उपरोक्त एक भी दस्तावेज न होने पर एकाउंट खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी तरह दूसरे चरण में अगर ट्रेडर्स संचालक बालू, गिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री का विक्रय करता है तो उसे खनिज विभाग द्वारा भंडारण क्षमता का लायसेंस लेना अनिवार्य होगा।

तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्माकुमारी ने निकाली जन-जागृति रैली

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पन्ना शहर में नशे के खिलाफ एक विशाल जन-जागृति रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति सचेत करना और उन्हें व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला चिकित्सालय पन्ना के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. प्रवीण द्विवेदी, पन्ना टीआई रोहित मिश्रा, श्रीमती निशा जैन सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रह्माकुमारी बहन ने कहा कि जब हम 5 से 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं, जो पेट्रोल से चलती है, तो हम उसकी कितनी साफ-सफाई रखते हैं। उसमें कभी पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते कि कहीं इंजन खराब न हो जाए। फिर सोचिए, इस अनमोल शरीर रूपी गाड़ी में हम शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटका जैसी चीजें क्यों डाल रहे हैं? क्या इससे हमारा इंजन (स्वास्थ्य) खराब नहीं होगा? उन्होंने कहा कि संस्थान का लक्ष्य समाज में व्याप्त बुराइयों और व्यसनों को ज्ञान, ध्यान, योग साधना और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से दूर करना है। रोज कुछ समय मेडिटेशन करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, जिससे हम किसी भी बुरी आदत पर आसानी से विजय पा सकते हैं।

बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारी बैठक कल

कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में 3 जून को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी। आगामी दिवसों में मानसून आने की संभावना के दृष्टिगत तथा बाढ़ से निपटने के लिए समय पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के संबंध में अब तक की गई तैयारियों की जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। अमानगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। यह पूरी त्वरित कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के कुशल निर्देशन में टीम द्वारा अंजाम दी गई।

मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 17 अप्रैल को पीड़िता के परिजनों ने अमानगंज थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। परिजनों की इस गंभीर रिपोर्ट के आधार पर अमानगंज थाना पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया और लापता बालिका की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी।

बालिका का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और साइबर सेल की तकनीकी सहायता ली। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर विभिन्न लोगों से पूछताछ की गई और कड़ियां जोड़ी गईं। संभावित ठिकानों पर लगातार सर्चिंग अभियान चलाया गया परिणामस्वरूप नाबालिग बालिका को हरियाणा के गुरुग्राम (गुड़गांव) से सकुशल बरामद कर लिया गया। जब पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, तो पीड़िता के कथनों के आधार पर पुलिस ने दर्ज प्रकरण में दुष्कर्म से संबंधित गंभीर धाराएं भी जोड़ीं। इसके तुरंत बाद घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया गया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस पूरी कार्यवाही में अमानगंज थाना प्रभारी उप निरीक्षक रवि सिंह जादौन, सहित टीम की सराहनीय और महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्लम्बर एवं हैण्डपंप मैकेनिक प्रशिक्षण में 50 युवा हुए प्रशिक्षित

छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अजयगढ़ में आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत एक निजी एनजीओ एवं एसबीआई के आरसेटी संस्थान द्वारा आयोजित छह दिवसीय आवासीय प्लम्बर एवं हैण्डपंप मैकेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अजयगढ़ विकासखंड के 50 युवाओं ने भाग लिया। दोनों संस्था के प्रयासों से आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंपों एवं पुरानी नल-जल योजनाओं के रखरखाव के लिए स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशिक्षण प्राप्त युवा अब अपने गांवों में हैण्डपंपों की छोटी-मोटी खराबियों का समाधान स्वयं कर सकेंगे, जिससे लोगों को पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे पूर्व आयोजित प्रथम बैच में 48 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 98 युवा हैण्डपंप मैकेनिक एवं प्लम्बर के रूप में प्रशिक्षित होकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपनी क्षमता अनुसार स्वरोजगार करने एवं बैंक द्वारा पूंजी ऋण प्रदाय करने के आश्वासन एवं प्रमाण पत्र वितरण के साथ शुभकामनाएं दी गईं।

कमिश्नर ने की योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। कमिश्नर अनिल सुचारी ने सागर संभाग के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए बनाई जा रही जल प्रदाय योजनओं का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।

कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की प्रगति की नगरीय निकायवार समीक्षा करते हुए कहा कि सागर संभाग के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे निर्माण कार्यों को भी तेजी से पूर्ण कराएं। कमिश्नर ने कहा कि सागर संभाग में दमोह, निवाड़ी सहित पन्ना की स्थिति में सुधार की आवश्यकता हैं। इसमें वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों में गति लाकर समय सीमा में सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का सागर संभाग में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। संभाग अंतर्गत दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ नगर पालिका अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित कार्य नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का परिणाममूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सागर संभाग के सभी नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि सभी नगर पालिका अधिकारी अपनी-अपनी नगर पालिकाओं में पेयजल व्यवस्था की समुचित मॉनीटरिंग करें। कमिश्नर ने सागर संभाग के नगरीय क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण के लिए कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कराए जा रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए गए।

जिला स्तरीय समिति की बैठक आज

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। सर्वोच्च न्यायालय के गत 19 मई को जारी आदेश के परिपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गई है।

कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक 2 जून को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित इस समिति में परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सदस्य-सचिव हैं, जबकि शासकीय सदस्य के रूप में सभी जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय को शामिल किया गया है। बतौर अशासकीय सदस्य नगर पालिका परिषद पन्ना की अध्यक्ष मीना पाण्डेय एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष संतोष सिंह यादव शामिल हैं।

इस क्रम में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय द्वारा गठित विशेष प्रकोष्ठ की बैठक भी होगी। इस समिति का गठन भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है, जिसके तहत एक वर्ष की अवधि के लिए निगरानी, व्यवस्था और क्रियान्वयन हेतु गठित विशेष प्रकोष्ठ में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए समिति उत्तरदायी होगी। इसमें पीओ डूडा सदस्य-सचिव व समन्वयक होंगे, जबकि बतौर सदस्य जिला पंचायत सीईओ, सभी एसडीएम, क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक कृषि, श्रम पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व नगरीय प्रशासन विकास सागर, समस्त जनपद पंचायत सीईओ और सभी नगरीय निकायों के सीएमओ शामिल किए गए हैं।

अवैध शराब के विरुद्ध पवई पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही

नवभारत न्यूज

पवई 01 जून। पन्ना पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियो को अपने थाना क्षेत्रो मे अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उसी तारतम्य में दिनांक 30.05.26 को पवई थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी की गुनोर. सलेहा तरफसे एक सफेद रंग की पिकअप वाहन बिना नंबर प्लेट की तेज गति से चलाते हुए पवई तरफआ रही है जिसके अंदर अवैध शराब होने की प्रबल संभावना है । सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंहए एसडीओपी पवई श्रीमती भावना दांगी के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी पवई श्री सुशील कुमार अहिरवार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर तत्काल संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वाहन चालक के द्वारा पुलिस को देखकर पिकअप वाहन को ग्राम नारायणपुर तरफमोड़ दिया जिसका पुलिस के द्वारा पीछा करने पर आरोपी वाहन चालक के द्वारा खेतों में गाड़ी चलाते हुए नारायणपुर के चिमनी भट्टा के पास गाड़ी रोक दी एवं रात्रि में अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया । जब पुलिस के द्वारा पिकअप वाहन को चेक किया गया तो उसमें अवैध रूप से 185 पेटी अवैध देसी मदिरा प्लेन जिसमें कुल 01 हजार 665 लीटर अवैध शराब कीमती करीबन 08 लाख 50 हजार रूपये की भरी पाई जाने से पिकअप वाहन जिसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए एवं दोनों की कुल कीमत करीबन 18 लाख 50 हजार रूपये की संपत्ति जप्त कर धारा 34 ;2 आबकारी एक्ट के के अंतर्गत कार्यवाही की गई ।

टीएल बैठक में कलेक्टर ने विभागवार समीक्षा कर दिए गए निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार को साप्ताहिक टीएल बैठक में विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई बैठक में जिला कलेक्टर ने उर्वरक उपलब्धता तथा ई-विकास प्रणाली में टोकन के जरिए सुचारू रूप से किसानों को खाद वितरण व्यवस्था की जानकारी ली।

जिला आपूर्ति अधिकारी को गत दिवस समर्थन मूल्य पर उपार्जित स्कंध की शेष मात्रा का तीन दिवस में अनिवार्य रूप से उठाव सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया। पीएम आवास योजना शहरी में प्रगति की समीक्षा कर पन्ना सहित अन्य स्थानों पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण के मामले पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध अविलंब पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बारिश के पूर्व वर्षाजनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियों तथा किट उपलब्धता के लिए निर्देशित किया। साथ ही मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति व व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्देश दिए। जिला संयोजक को एक सप्ताह में क्षेत्र विशेष का चिन्हांकन कर जानकारी से अवगत कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रूप से सुचारू पेयजल व्यवस्था संचालित रहे। टीएल बैठक में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जानकारी प्राप्त कर सीएमओ को व्यवस्थित रूप से शहर का कचरा हटवाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभागवार 100 दिवस से अधिक समयावधि की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। साथ ही सभी पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शिविरों की तिथियां निर्धारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए।

महाराज सागर तालाब के कायाकल्प में अधिकारी-कर्मचारी बनेंगे सहभागी - जिले में वर्तमान में जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन के लिए संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा पन्ना नगर के महाराज सागर तालाब के शुद्धीकरण और कायाकल्प का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में टीएल बैठक के दौरान इसकी कार्ययोजना से विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने सभी लोकसेवकों से प्राचीन तालाब के साफ-सफाई कार्य में सहभागी बनकर योगदान की अपेक्षा की। साथ ही निरंतर सात दिवस तक श्रमदान के जरिए तालाब से जलकुंभी एवं अन्य कचरा हटाने तथा कार्ययोजना मुताबिक जल स्त्रोत व घाट की साफ-सफाई के उद्देश्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई।

महाविद्यालय देवेन्द्रनगर में विज्ञान संकाय एवं राजनीति शास्त्र विषय होगा प्रारंभ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा के विस्तार और विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 शासकीय महाविद्यालयों में नए संकाय एवं विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है।

इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शासकीय महाविद्यालय देवेन्द्रनगर में भी स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणीशास्त्र, गणित एवं वनस्पति विज्ञान विषयों का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देवेन्द्रनगर महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के इस निर्णय से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा।

साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की ओर उनका पलायन भी कम होगा। विभाग का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर मलेरिया जागरुकता रथ को किया रवाना

नवभारत न्यूज

पन्ना, 01 जून। जिले में मानसून की दस्तक से पहले स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों से जनित बीमारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मलेरिया से बचाव और नियंत्रण के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल की तरह इस वर्ष भी जून को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत सोमवार, 1 जून को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से एक विशेष मलेरिया जागरूकता प्रचार रथ को समारोह पूर्वक रवाना किया गया।

सीएमएचओ डॉ. आर.पी. तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को क्षेत्र में रवाना किया। इस खास मौके पर जिला मलेरिया कार्यालय और सीएमएचओ कार्यालय के तमाम आला अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

चिन्हित गांवों और हाट-बाजारों में गूंजेगा जागरूकता का संदेश - कार्यक्रम के दौरान सीएमएचओ डॉ. आर.पी. तिवारी ने बताया कि यह जागरूकता रथ जिले के चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों और हाट-बाजारों में भ्रमण करेगा। रथ के माध्यम से जनसमुदाय को मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और उनसे बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। डॉ. तिवारी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, इसलिए बुखार आने पर तुरंत जांच करानी चाहिए और सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं के पास मलेरिया की जांच और उपचार की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। खास बात यह है कि इस चलते-फिरते रथ में भी सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ मरीजों की जांच और उपचार की तत्काल सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए रथ पर एक विशेष टीम मुस्तैद की गई है।

साफ पानी में पनपते हैं मच्छर, बरतें ये सावधानियां

जिला मलेरिया अधिकारी अरुणेन्द्र प्रताप सिंह ने आमजन को बीमारी के लक्षणों और बचाव के तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ठंड लगकर तेज बुखार आना, बुखार उतरते समय शरीर से पसीना छूटना, सिरदर्द होना और उल्टी आना मलेरिया के प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हमेशा रुके हुए साफ पानी में ही पैदा होते हैं। ऐसे में नागरिकों को अपने घर और आस-पास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। घर के आस-पास मौजूद छोटे-छोटे गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिए और यदि कहीं पानी जमा है, तो उसमें सप्ताह में एक बार मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन ऑयल डाल देना चाहिए ताकि पानी के ऊपर एक परत बन जाए और मच्छरों का लावा नष्ट हो सके। इसके अलावा घरों में बर्तनों और टंकियों में जमा पानी को सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर बदलना चाहिए और सोते समय हमेशा अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों से इन उपायों को अपनाने और मलेरिया मुक्त पन्ना बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।